रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 54] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 6, 1994/चैत्र 16, 1916

No. 54] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 6, 1994/CHAITRA 16, 1916

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना सं. 207 (पी एन) / 92—97

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 1994

विषय :—प्रक्रिया पुस्तक खण्ड—2 1992—97 निवेश-उत्पादन मूल्य संयोजन मान-दण्ड और संवेदन शील मदों का ब्यौरा।

फाइल सं. 6/93/93—आई पी सी—2 :—उपर्युक्त विषय पर सार्वजनिक सूचना सं. 121 (पी एन)/92—97 (30-3-94 को संशोधित) के तहत प्रकाशित प्रक्रिया पुस्तक, 1992—97 खण्ड—2 की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. मानक निवेश उत्पादन के विवरण में, कपड़े की मदों में उपयुक्त स्थानों पर निम्नलिखित अनुसार मूल्य संयोजन मानदण्ड संशोधन किए जाएंगे।

क्रम सं.	पृष्ठ सं.	निर्यात उत्पाद की. क्रम सं.	संशोधन
1	2	3	4
1	696	85	150% का मूल्य संयोजन हटा दिया जाएगा।

3. इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

ह./--

डा. पी. एल. संजीव रेड्डी, महानिदेशक विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE

Public Notice No. 207 (PN)/92—97

New Delhi, the 6th April, 1994

Subject : Handbook of Procedures, Vol. II 1992—97—Input-Output, Value Addition Norms and details of Sensitive Items.

F. No. 6/93/93-IPC-II.—Attention is invited to Handbook of Procedures, 1992—97 Vol. II, Published under Public Notice No. 121(PN)/92—97 (Revised as on 30-3-94) on the above mentioned subject.

2. In the statement of Standard Input-Output, Value Addition Norms, Amendments at appropriate places in the Textile Items as mentioned below shall be made.

Sl. No.	Page No.	Sl. No. of the Export Product	Amendments
(1)	(2)	(3)	(4)
1	696	85	The value addition of 150% shall be deleted.

3. This issues in Public Interest.

Sd/-

DR. P.L. SANJEEV REDDY, Dir. Gen. of Foreign Trade

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994